रेलटेल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

वर्ष 2013-2014
के लिए
समझौता ज्ञापन

भाग I : उद्देश्य एवं लक्ष्य

1.1 दृष्टिकोण :

ज्ञानवर्धक अर्थव्यवस्था के लिए एक प्राथमिक टेलीकॉम सोल्यूशन और सर्विस प्रोवाइडर बनना।

1.2 उद्देश्य :

लागत-प्रभावी आधुनिकतम कम्यूनिकेशन सोल्यूशंस प्रस्तुत करते हुए प्रमुख दूरसंचार मूलभूत ढांचे को सेवा प्रदान करने में अग्रिम स्थान प्राप्त करना।

1.3 लक्ष्य :

रेलटेल के लक्ष्य इस प्रकार हैं :

क) आधुनिकतम कम्यूनिकेशन सोल्यूशंस प्रस्तुत करते हुए रेल परिचालन के 'तीव्र' आधुनिकीकरण, संरक्षा प्रणालियों और नेटवर्क के लिए रेलवे को सुविधा प्रदान करना।

ख) देश के सभी भागों विशेषकर ग्रामीण , दूरस्थ और पिछड़े क्षे त्रों में टेलीकॉम , ब्रॉडबैंड और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित वैल्यू एडिड सर्विसेज के प्रेरक विकास के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार ढांचे को सहायता प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क की योजना तैयार करना , उसका निर्माण, संचालन तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य।

ग) देश के टेलीकॉम नेटवर्क का वाणिज्यिक दोहन करके राजस्व की उत्पत्ति करना।

घ) नेशनल नॉलेज नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्रव्यापी टेलीकॉम एवं आई .टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भागीदारी और साथ ही समेकित विकास के लिए ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की व्यवस्था के लिए पंचायतों को कनेक्टिविटी का विस्तार।

भाग – II

बढ़ी हुई स्वायत्तता का उपयोग और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

रेलटेल द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग के आदेशों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों की उपयोग जारी रखा जाएगा ताकि वह समय- समय पर कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सके।

भाग – III

मूल्यांकन पैरामीटरों का कार्यनिष्पादन और लक्ष्य :

अनुलग्नक-I में संलग्न शीटों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रतिबद्धताएं प्रस्तुत की जाती हैं।

भाग – IV

सरकार की ओर से प्रतिबद्धताएं/सहायता :

1. मंत्रालय द्वारा रेलटेल के लिए एन .ओ.सी., डेटा सेंटर और अन्य कार्यों हेतु भूमि/भवन के लिए विशेष रियायती लाइसें स शुल्क पर स्थान उपलब्धता हेतु विचार किया जा सकता है , क्योंकि इन सुविधाओं का उपयोग रेलवे की आवश्यकताओं हेतु भी किया जाएगा।

2. मंत्रालय द्वारा रेलटेल को इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कनेक्शन पर , ओवरहैड प्रभारों की रेलवे के अन्य सार्वज निक क्षेत्र के उपक्रमों के समकक्ष 29% से 10% तक की माफी / कमी कर देने पर विचार कर सकता है।
3. मंत्रालय द्वारा रेलटेल को लागत आधार के बजाय राजस्व भागीदारी के रूप में टावर / भवन आदि के लिए आबंटित भूमि / स्थान हेतु लाइसेंस शुल्क के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है , ताकि टावर बिजनेस इन्फ्रा स्ट्रक्चर संबंधी कार्यवाहियों के लिए शीघ्र अनुमोदन प्रदान किए जा सकें।

(कथित सहायता / प्रतिबद्धता समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों से डीलिंक कर दी गई है।)

भाग – V

समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए कार्य योजना

1. पीएसई प्रबंधन द्वारा अपनी क्षेत्रीय ईकाइयों में समझौता ज्ञापन को आंतरिक रूप से लागू किया जाएगा तथा त्रैमासिक आधार पर उसकी समीक्षा की जाएगी।
2. रेल मंत्रालय द्वारा इस समझौता ज्ञापन में दिए गए लक्ष्यों की तुलना में रेलटेल के कार्यनिष्पादन की छह माह में एक बार समीक्षा की जाएगी।

(आर.के.बहुगुणा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
रेलटेल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.

(एच.के.जग्गी)
रेल मंत्रालय
भारत सरकार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मार्च, 2013